**Fourteenth Loksabha**

**Session : 7**

**Date : 20-03-2006**

**Participants : Mishra Dr. Rajesh Kumar,Yadav Shri Ram Kripal,Chatterjee Shri Somnath,Kumar Shri Shailendra**

an>

Title : Need to ensure proper utilization of the funds released to the State Government under second phase of Ganga Action Plan in Varanasi.

**डॉ. राजेश मिश्राः** सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पुराणों के समय से काशी कहा गया है। वहां जितना बाबा विश्वनाथ का महत्व है, उतना ही मां गंगा की पवित्रता का भी महत्व है। गंगा का जल प्रदूति हो रहा है। इसलिए अत्यन्त महत्वपूर्ण विाय पर हम सदन के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहते हैं।

महोदया, गंगा के ऐतिहासिक एवं पर्यवरणीय महत्व को देखते हुए, अपने प्रधान मंत्रित्व काल में, माननीय राजीव गांधी जी ने सबसे पहले वाराणसी में ही, 14 जून, 1986 को, स्वच्छ गंगा अभियान की शुरूआत की थी। अभियान के प्रथम चरण में, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कलकत्ता में, गंगा में सीधे गिरने वाले सीवरेज व औद्योगिक नालों को रोका जाएगा और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों व नालों के डायवर्शन के जरिए पांच साल में यह काम हो जाएगा, यह आशा व्यक्त की गई थी। मगर हुआ क्या, 400 करोड़ रुपए की यह योजना, इस कद्र अफसरशाही और टैक्नीकल कमियों का शिकार हो गई कि गंगा का संकट और गहरा हो गया। जिस गंगा जल में, बरसों-बरस कीड़े नहीं पड़ते थे, आज वही जल, कम से कम वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता जैसे शहरों में नहाने लायक भी नहीं रहा है। तमाम सरकारी और गैर-सरकारी जांच एजेंसियां इस बात की पुटि करती हैं।

महोदया, अकेले वाराणसी शहर में देखें, तो वहां वर्ा 1986 से 1991 तक, कुल 34 योजनाएं बनीं। इनमें से जल निगम ने 13 योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जिन पर 3807.92 लाख रुपए खर्च हुए। बाकी 21 परियोजनाओं का क्रियान्वयन, सिंचाई, वन, जनसंसाधन, नगर निगम, विकास प्राधिकारण और विद्युत विभाग से कराया गया। इन पर 1147.54 लाख रुपए खर्च हुए। पहले चरण में सीधे शोधन के लिए, शहर से दूर, दीमापुर में ट्रीटमेंट प्लांट बना। लेकिन इन परियोजनाओं से पूर्व गंगा में रोजाना 159 ...(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** डॉ. राजेश मिश्रा जी, आपकी मांग क्या है ? आप सरकार से क्या चाहते हैं ?

**डॉ. राजेश मिश्रा** : महोदया, हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। परसों इसी हाउस में, शुक्रवार को रिपोर्ट भी आई है। हम उसी का जिक्र करना चाहते हैं। पहले 159 एम.एल.सी. सीवरेज गिरता था और आज सुबह 10.00 बजे से लेकर रात तक 140 और 150 के बीच में एम.एल.सी. सीवरेज गंगा और यमुना में सीधे गिर रहा है। गंगा बहुत ज्यादा प्रदूति हो गई है। लोक लेखा समिति ने गंगा कार्य योजना पर शुक्रवार को इसी सदन में अपनी रिपोर्ट पेश की है। हम उस रिपोर्ट का भी जिक्र करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के पृठ चार पर उल्लेख है कि गंगा कार्य योजना-प्रथम, जिसे मार्च, 1990 तक पूरा किया जाना था, उसे मार्च, 2000 तक बढ़ा दिया गया था, किन्तु वह 13 वर्ाों के विलम्ब के बाद भी, वह योजना आज तक अधूरी है। गंगा कार्य योजना-द्वितीय, जिसे 2001 में पूरा किया जाना था, वह सितम्बर, 2008 तक बढ़ा दी गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पट यह लिखा है कि गंगा कार्य योजना-प्रथम और गंगा कार्य योजना-द्वितीय के कार्य, गत 18 वर्ाों से चल रहे हैं और योजनाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं। यह कार्य की अत्यन्त धीमी गति को स्पटतः दर्शाता है।

**सभापति महोदया :** राजेश जी, बस अब आगे दो लाइन में अपनी बात खत्म करें।

**डॉ. राजेश मिश्रा** : इसी रिपोर्ट में पेज 123 और 125 का हम जिक्र करना चाहते हैं। इसमें यह स्पट रूप से उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में यह माना है कि टैक्नीकल कार्यों की अनदेखी की वजह से और प्रदेश सरकार को योजना क्रियान्वित करनी थी, उसकी लापरवाही की वजह से यह योजना पूरी तरह फेल हो गयी है।

**सभापति महोदया :** मिश्रा जी, बस अपनी बात बता दें।

**डॉ. राजेश मिश्रा :** हम केन्द्रीय सरकार से यह मांग करते हैं कि सैकिण्ड फैज़ की जो योजना है, इसके लिए भारत सरकार के पास दो प्रपोजल्स हैं। एक उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम के माध्यम से मांगा है। दूसरा प्रपोजल वहां के जल निगम ने दिया है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पास रखा है। जो नगर निगम का प्रपोजल है, उस संकटमोचन फाउण्डेशन की टैक्नीकल टीम के माध्यम से गया है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स और तमाम सारे टैक्नीशियंस यह कहते हैं कि जो नगर निगम के माध्मय से जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, हम थ्री टायर सिस्टम की बात करते हैं, हमने संविधान में संशोधन करके जिला पंचायतों को प्रदेश और केन्द्र सरकार के बराबर तमाम सारे अधिकार दिये हैं, हमारी यह मांग है कि नगर निगम ने संकटमोचन फाउण्डेशन की जिस योजना को स्वीकृत किया है, उस योजना के माध्यम से जो टैक्नीकल एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने जो स्वीकृत किया है, उसके माध्यम से इस कार्य को कराया जाये तो आज जो गंगाजल में कीड़े पड़ रहे हैं, जो गंगा का पानी प्रदूति हो गया है, उसे हम बचा सकेंगे ताकि गंगा पुनः अपनी पवित्रता को प्राप्त कर सके। (व्यवधान)

**श्री राम कृपाल यादव (पटना) :** इसमें मैं भी अपने को एसोसिएट करता हूं।...(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** पूरे हाउस को इसमें एसोसिएट कर लेते हैं। यह बहुत पवित्र मामला है, इसमें सभी को एसोसिएट करते हैं।

...(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** जयप्रकाश जी, सभी के नाम आ गये हैं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) :** यह हमारे इलाहाबाद संगम का मामला है, मैं भी इसमें एसोसिएट करता हूं।

**सभापति महोदया :** इस मामले में सब के नाम एसोसिएट कर लिए गये हैं। जो माननीय सदस्य खड़े हैं, उन सब के नाम एसोसिएट कर लिए गये हैं।

डॉ. टोकचोम मैन्या, श्री जयप्रकाश, श्री रामकृपाल यादव, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश, श्री मदन लाल शर्मा, चौधरी लाल सिंह, श्रीमती परनीत कौर, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री बिक्रम केशरी देव आदि के नाम एसोसिएट किये गये।